

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी  
श्री बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

1. श्री दौलतराम गोदी पुत्र श्री किशना भोई निवासी भूरक्या कलां तहसील बड़ीसादड़ी

— वादी


॥ बनाम ॥

1. श्री किशन पिता रतन भोई निवासी भूरक्या कलां तहसील बड़ीसादड़ी
2. श्रीमति मंजू पिता रतन भोई निवासी भूरक्या कलां तहसील बड़ीसादड़ी
3. श्रीमति टमाबाई पत्नि रतन भोई निवासी भूरक्या कलां तहसील बड़ीसादड़ी
4. श्री भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार बड़ीसादड़ी तह. बड़ीसादड़ी


— प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 90/2023 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. वादी की ओर से वकील श्री दिनेश चन्द्र वैष्णव की उपस्थिति में और प्रतिवादी वकील श्री अविनाश कुमार आमेटा की उपस्थिति में पेश राजीनामा अनुसार वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि भूरक्याकलां राजस्व ग्राम की आराजी सं. 414 मीन रकबा 0.33 हैक्टर आराजी न. 439 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4700 हैक्टियर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

इस वाद के खर्चे. \* प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित. \* को दी जावे। यह आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

  
(बिन्दुबाला राजावत )  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़ीसादड़ी

कमांक/राजस्व/2024/ 61 दिनांक:- 19.1.24  
मूल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़ीसादड़ी

